न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 294 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 436**
दायर दिनांक :– 18.11.2024 **निर्णय दिनांक :– 09.12.2024**

1. राजेन्द्रसिंह उर्फ राजेन्द्ररतनू पुत्र चण्डीदान जाति चारण निवासी महलवाला बास चौपासनी चारणान जोधपुर जिला जोधपुर
2. हरिसिंह पुत्र चण्डीदान जाति चारण निवासी महलवाला बास चौपासनी चारणान जोधपुर जिला जोधपुर
3. हिमतसिंह पुत्र चण्डीदान जाति चारण निवासी महलवाला बास चौपासनी चारणान जोधपुर जिला जोधपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 54 / 345 रकबा 26.1346 हैक्टेयर सरहद मौजा बडीसिड पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं का बाड़ा इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 245 दिनांक 17.10.2024 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 18.10.2024 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश मुस्तकिल बिंदु से कर मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ कर सुनाया गया। उक्त पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगा तो उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार ने पैमाईश प्रार्थीगण की हद में खूंटे रोपने से मना कर दिया और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करता है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त

09.12.24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

वर्णित भूमि की हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 54/345 रकबा 26.1346 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 54/345 रकबा 26.1346 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसिलए प्रार्थीगण पैमाईश टीम गठित की जाकर पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बडीसिड पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 54/345 रकबा 26.1346 हैक्टेयर भूमि की पुनः पैमाईश टीम गठित की जाकर की जावे तथा पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.12.24

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)